परिपत्र संख्या 08 / 2017

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.2(160)सर्त / 2012 / जयपुर–1 / 1500 दिनांक : 21-07-2017

–: परिपत्र :–

विषय :–पंजीयन व्यवस्था को सरल एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से 25 लाख रूपये से अधिक की मालियत के कृषि भूमि के हस्तान्तरण दस्तावेज के साथ संबंधित पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट लेने के संबंध में निर्देश।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.2(10)वित / कर / 2010 दिनांक 24.8.2012 के द्वारा पंजीयन व्यवस्था को सरल एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से 25 लाख रूपये से अधिक की मालियत के कृषि भूमि के हस्तान्तरण दस्तावेज के साथ पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने के निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.7(93)जन / 11–12 / 12580–980 दिनांक 29.08.12 के द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

विभाग के उक्त निर्देशों के अनुसार 25 लाख रूपये से अधिक मूल्य की कृषि भूमि का हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन पूर्व पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना आवश्यक है। विलम्ब से मौका निरीक्षण करने पर अचल सम्पत्ति पर निर्मित क्षेत्र / उपयोग की स्थिति में परिवर्तन होने की संभावना के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि में मौका निरीक्षण कर, मौका निरीक्षण की रिपोर्ट दो स्वतंत्र गवाहों अथवा क्षेत्राधिकार हल्का पटवारी के भी हस्ताक्षर भी कराने के लिए निर्देशित किया गया था।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय पटवारियों द्वारा राजस्व कार्यों अथवा बैठकों में व्यस्तता की आड़ में आम जनता को मौका निरीक्षण हेतु निर्धारित दिवस एवं समय देने की बजाय बार–बार समयावधि बढ़ाकर परेशान किया जा रहा है।

अतः समस्त उपमहानिरीक्षक व उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि जिला पंजीयक से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जावे कि पक्षकार द्वारा 25 लाख रूपये से अधिक की मालियत की कृषि भूमि के हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने के लिए संबंधित पटवारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही जाने पर, पटवारी द्वारा तत्काल मौका देखकर, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पक्षकार को उपलब्ध कराई जावें।

21/7/17

(डॉ0राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.2(160)सर्त / 2012 / जयपुर–1 / 1501-2116 दिनांक : 21-07-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके जिले के समस्त पटवारियों को उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पक्षकारों के आवेदन पर अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5 / कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को सूचनार्थ एवं विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर / जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक / निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाऍं, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर